बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
संकल्प

विषयः— वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य के 06 नगर निगमों में सी०सी०टी०वी० परियोजना एवं ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹48705.81 लाख (चार सौ सतासी करोड़ पाँच लाख इक्यासी हजार रू०) मात्र की लागत की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन को नामित करने तथा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131 झ(छ) के आलोक में नामांकन (Nomination) के आधार पर सर्वश्री M/S iHUB Divyasampark @ IIT Roorkee को परियोजना लागत की कुल 1.6 प्रतिशत अर्थात् कुल ₹779.29296 लाख (सात करोड़ उनासी लाख उनतीस हजार दो सौ छियानवे रू०) मात्र के परामर्शी शुल्क पर परियोजना परामर्शी नामित के संबंध में।

"मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर" की परिकल्पना के क्रम में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में वासित नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा नागरिकों हेतु एक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करने के लिए सी०सी०टी०वी० कैमरा तथा ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापन किया जाना है। उक्त के आलोक में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रथम चरण में राज्य के छह नगर निगमों यथा— नगर निगम— छपरा, दरभंगा, गया, मुंगेर, पूर्णियाँ एवं सहरसा में सी०सी०टी०वी० कैमरा तथा ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

2. राज्य में नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बेल्ट्रॉन द्वारा कार्य की महत्ता एवं परियोजना के वृहत स्वरूप के मद्देनजर Traffic Singals Integration with Surveillance & CCTV Operations के क्रियान्वयन हेतु इस कार्य को IIT संस्थानों जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान है, से कराए जाने का विचार किया गया। जिसमें नॉमिनेशन के आधार पर सर्वश्री iHUB Divyasampark@ IIT Roorkee को इस कार्य हेतु परियोजना परामर्शी नामित करने का निर्णय लिया गया है।

3. "मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर" की परिकल्पना के साथ कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत नगर निकायों में वासित नागरिकों को सुरक्षा प्रदान

करने तथा नागरिकों हेतु एक सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण तैयार करने के लिए अवांछित गतिविधियों की निगरानी सी०सी०टी०वी० कैमरा से किया जाना है तथा शहरों के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापन किया जाना है। इस परियोजना की कुल लागत ₹48705.81 लाख (चार सौ सतासी करोड़ पाँच लाख इक्यासी हजार रू०) मात्र है।

4. उक्त परियोजना के कार्यान्वित होने से पूरे शहर की एकीकृत निगरानी हो सकेगी तथा आम नागरिकों को भयमुक्त वातावरण प्राप्त हो सकेगा। उक्त के अतिरिक्त ट्रैफिक सिग्नल का अधिष्ठापित होने से वाहनों का सुव्यवस्थित परिचालन हो सकेगा।

5. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के 06 नगर निगमों में सी०सी०टी०वी० परियोजना एवं ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹48705.81 लाख (चार सौ सतासी करोड़ पाँच लाख इक्यासी हजार रू०) मात्र की लागत की योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी बेल्ट्रॉन को नामित करने तथा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131 ज्ञ(छ) के आलोक में नामांकन (Nomination) के आधार पर सर्वश्री M/S iHUB Divyasampark @ IIT Roorkee को परियोजना लागत की कुल 1.6 प्रतिशत अर्थात् कुल ₹779.29296 लाख (सात करोड़ उनासी लाख उनतीस हजार दो सौ छियानवे रू०) मात्र के परामर्शी शुल्क पर परियोजना परामर्शी नामित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक–04.02.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–51 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/2/25

(अभय कुमार सिंह),

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 14/ना०सु०–04–91/2024– 504 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक–11/02/25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जायें।

10/2/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 14 / ना०सु०—04—91 / 2024— 504 / न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक—11/02/25

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/25

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 14 / ना०सु०—04—91 / 2024— 504 / न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक—11/02/25

प्रतिलिपिः— अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद / सभी नगर पंचायत / महाप्रबंधक (परियोजना), बेल्ट्रॉन / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार / सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/2/25

सरकार के सचिव।